राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री का भाषण

31 अगस्त, 2005
नई दिल्ली

बहनो और भाइयो,

मुझे राष्ट्रीय एकता परिषद की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम लोग लगभग 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं और यहां पर उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मेरा यह मानना है कि जैसे-जैसे हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है और विश्व में अपनी स्वाभाविक भूमिका में आता जा रहा है, तो ऐसे में हमें जरूरत इस बात की है कि हम समय-समय पर मिलते रहें और हमारे राष्ट्रत्व के केन्द्रीय विचारों और मूल्यों पर चिंतन करते रहें और इन मूल्यों के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने के उपायों पर चर्चा करते रहें। यह न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, बल्कि हमारे अहम मूल्यों को आज की जरूरतों के अनुसार ढालने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि यह मंच हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। मैंने कई बार कहा है कि भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है परंतु साथ ही यह एक नव-उदित राष्ट्र भी है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, परंतु इस पौधे की देखभाल करना जरूरी है। यह मंच हमारे नेताओं द्वारा बनाया गया इस तरह की देखभाल का एक माध्यम है।

जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परिषद का शुभारंभ किया, तब उन्होंने इस बात का काफी ध्यान रखा कि इसके गठन में हमारी भव्य विविधता की झलक मिलती रहे। उन्होंने उस जमाने के भिन्न-भिन्न विचारों वाले सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और बुद्धिजीवीवर्ग के कुछ लोगों को सदस्यों के रूप में इस परिषद में शामिल किया था। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उपस्थित हैं जिन्होंने जून 1962 में इस परिषद की प्रथम बैठक में भाग लिया था।

इस परिषद के गठन का विचार पंडित जी द्वारा 1961 में बुलाए गए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में आया था। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि हमारी एकता और राष्ट्रीय अखंडता पर तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने विवाद के उन चार संभावित स्रोतों पर जोर देने की आवश्यकता महसूस की, जिनसे बचना जरूरी था। उनके अनुसार ये थेः "सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद।" मैं यहां पर पंडितजी के उन अमूल्य और विवेकपूर्ण वचनों को व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता जो आज भी उतने ही सार्थक हैं। उनके अनुसारः-

"संकीर्ण मानसिकता सदा ही बुरी बात होती है, परंतु आज जब सारी दुनिया सिमटती जा रही है, तब संकीर्ण मानसिकता की बात बहुत ही बुरी है और जब हम भारत को आर्थिक, सामाजिक और अन्य रूपों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद हमारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।"

पंडितजी ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों, हमारे सामाजिक और सामुदायिक नेताओं, हमारे बुद्धिजीवियों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी पर बल दिया। सन् 1962 में इस परिषद की प्रथम बैठक में पंडितजी ने सांप्रदायिक सद्भाव और देश के विभिन्न हिस्सों की एकता को दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे माना। राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारी अखिल भारतीय सिविल सेवाओं, राष्ट्रीय मीडिया और हमारे सिनेमा उद्योग की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर भी जोर दिया। मेरा यह मानना है कि इस परिषद के लिए पंडित जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में आधी सदी का समय कोई लंबा समय नहीं होता और हमें राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा ताकि देश विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सके।

बहनो और भाईयो,

तथापि मैं आशावान हूं और हमारे द्वारा तय किए हुए रास्ते को महत्वपूर्ण मानता हूं। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब दुनिया के कई नामी-गिरामी लोग भारत के राष्ट्र-निर्माण के प्रयोग को खारिज कर रहे थे। कई "निराशावादी " भविष्यवक्ताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत आपस में लड़ते कई टुकडों में बंट जाएगा। कुछ लोगों ने तो हमें हज़ार घाव देने तक का षडयंत्र किया ताकि हमारा राष्ट्र इस दर्द के सामने घुटने टेक दे। कुछ लोगों का यह मानना था कि हमारी विविधता, हमारे आकार और घोर गरीबी के चलते असीम चुनौतियों के कारण राष्ट्र के रूप में हम सफल नहीं हो पाएंगे। भारत के लोगों ने ऐसी निराशावादी भविष्यवाणियों और बुरा चाहने वाले लोगों को गलत साबित कर दिया है। आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर राष्ट्रनिर्माण के हमारे अनुभव को आशापूर्वक देखा जाता है और इसे एक अनुकरणीय आदर्श माना जाता है।

जैसा कि मैंने कल संसद में बताया था, मैंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हमीद करजई को बड़े गर्व से सुना जब वे अफगान लोगों को एक मॉडल के रूप में भारत के लोकतांत्रिक अनुभव का हवाला देते हुए कह रहे थे कि वे अपने देश का पुनर्निर्माण करें और शांति तथा समृद्धि के नए भविष्य की खोज में जुट जाएं। राष्ट्रपति करजई ने अपने लोगों से कहा, "भारत में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं वाले 100 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। लोगों की सहभागिता से एक स्थिर और बहुलवादी लोकतंत्र की कल्पना को साकार कर

सका है। भारत के इस अनुभव से एशिया और अफ्रीकी देश तथा खास तौर पर अफगानिस्तान काफी कुछ सीख सकता है।"

हम राष्ट्रपति करजई जैसे नेताओं की हिम्मत और विवेक के लिए उन्हें सलाम करते हैं, जो हमारी ही तरह खुले समाज और खुली अर्थ-व्यवस्था के दायरे में अपने लोगों की खुशहाली के लिए प्रयत्नशील हैं। सिर्फ हमारे पड़ोस में ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के देशों और विश्व की बड़ी-बड़ी राजधानियों में भी राष्ट्र-निर्माण के हमारे लोकतांत्रिक अनुभव की अब काफी सराहना की जाती है। मेरा यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि हमारे राष्ट्र-निर्माण में लोकतंत्र का बड़ा महत्व रहा है। हमारे देश के विविधतापूर्ण लोगों को भावनात्मक एकता में भी इसका असीम योगदान रहा है।

बहनो और भाइयो,

फिर भी, हम संतुष्ट होकर बैठे नहीं रह सकते। हमें अपने गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नित नवीन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। पंडितजी द्वारा बताए गए चार खतरे, "साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद" आज भी बरकरार हैं। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान पुख्ता हुई है, शायद उन खतरों का तुलनात्मक महत्व भी बदला है, और संभवतः उनमें कमी भी आई है। परंतु अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए इन प्रारंभिक खतरों के विरूद्ध संघर्ष के लिए हमें विभिन्न तरीके खोजते रहने चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी राष्ट्रीय एकता के समक्ष आज ऐसा कोई खतरा नहीं है जिससे निपटा न जा सके। तथापि, हमें अपने राष्ट्रत्व के विरूद्ध प्रत्यक्ष और परोक्ष चुनौतियों के बीच फर्क करना होगा और तद्नुसार प्रत्येक से निपटना होगा।

आज की बैठक में साम्प्रदायिकता द्वारा खड़ी की गई चुनौती पर लंबी चर्चा करने का हमारा प्रस्ताव है। सदियों से हमारा समाज अपनी सहिष्णुता की भावना के लिए जाना जाता रहा है। यह एक ऐसा मूल्य रहा है जो हमारी संस्कृति और राष्ट्र की संकल्पना का मूल है। हमारा समाज एक ऐसा समाज रहा है जो अपनी विविधताओं में; विभिन्न विचारों, आस्थाओं और विश्वासों को अपने में समाहित करने की अपनी क्षमता में; न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि दर्शन और आस्थाओं के मामलों में भी आलोचनाओं और वाद-विवादों को स्वीकार करने में प्रसन्नता महसूस करता रहा है। यह अद्भुत खुले-विचारों वाली मानसिकता ही है जिसके कारण दुनिया के सभी धर्मों को भारत भूमि पर फलने-फूलने का अवसर मिला है। एक राष्ट्र के रूप में जैसे-जैसे हमारा विकास हुआ है, हमारे संविधान में निहित यह मूल्य हमारे राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया है। आनेवाली पीढ़ियों के लिए इस मूल्य की रक्षा करना, और उसे पोषित करना हम सभी का, खासकर बुद्धिजीवियों और समाज के नेताओं का दायित्व है।

निरंतर सतर्कता ही आजादी की कीमत है। इसलिए हमें न केवल अपने धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश को शुरू में ही कुचल देना होगा, बल्कि हमें साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना होगा। हमें अपने बच्चों को अपनी प्राचीन संस्कृति की विविधता के बारे में शिक्षित करना होगा, ताकि वे विविधता की सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर के मूल्यों को आत्मसात कर सकें। शिक्षा को हमारे संविधान में वर्णित मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम बनना होगा। हमारे शिक्षाविदों और शिक्षण-सामग्री निर्माताओं को यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम एक बार नन्हें दिमागों में सहिष्णुता के बीज डाल देंगे तो ये भविष्य में विशाल दरख्तों के रूप में विकसित होकर हमारी भावी जीवन-पद्धति को बनाए रखेंगे। मीडिया और बुद्धिजीवियों का भी यह दायित्व है कि वे इन मूल्यों को बार-बार दोहराते रहें, ताकि वे न केवल हमारी सामूहिक चेतना में सन्निहित हो जाएं, बल्कि हमारे नागरिकों के लिए गर्व का स्रोत भी बन जाएं।

तथापि, हमें इस बात को समझना होगा कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए छुपे खतरों से निपटना एक मुश्किल काम है। साम्प्रदायिकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद तथा भाषायी कट्टरवाद का और भी डटकर तथा समझदारी के साथ मुकाबला करना होगा। हमें अधिक मानवोचित, समग्रतापूर्ण और उदार राजनैतिक संस्कृति की जरूरत है। हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की जड़ें हमारी बहुलवाद और उदारवाद के प्रति हमारी सभ्यताई प्रतिबद्धता में होनी चाहिए। भारत का दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, "वसुधैव कुटुम्बकम" वाला रहा है - यानि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह मत कि राष्ट्र चाहे आपस में लड़ते रहें, संस्कृतियां और सभ्यताएं साथ-साथ रह सकती हैं। 21वीं सदी की महत्वपूर्ण विशेषता यह नहीं होगी कि इसे "सभ्यताओं का संघर्ष" कहा जाएगा, परंतु यह कि इसे "सभ्यताओं का संगम" कहा जाएगा।

हमें अपने लोगों में ऐसे उदारवाद की भावना जगानी है। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे मीडिया, हमारी लोकप्रिय संस्कृति को बहुलवाद और समग्रता के प्रति भारत की सभ्यतामूलक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना होगा। इसी प्रकार हमारी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को इस जरूरत को हमेशा समझना होगा ताकि हमारे गणतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों और हमारे संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रति हमारी वचनबद्धता सुदृढ हो सके। हमारी सरकार इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, सभी अल्पसंख्यकों और समाज के सभी कमजोर तबकों, खासकर महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब समाज का हर वर्ग मजबूत होगा, तभी हमारा देश भी मजबूत होगा। हमारी सामूहिक सफलता और समृद्धि में प्रत्येक समूह का योगदान और हिस्सा होना चाहिए। इसलिए, यह राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण और महिलाओं का सशक्तिकरण केवल राजनैतिक नारे नहीं हैं। ये केवल राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य हासिल करने का माध्यम नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये एक सभ्य समाज की बुनियादी, मूलभूत और अनिवार्य विशेषताएं हैं। अगर हम अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन, उसके जीवन-यापन के साधन, उसकी संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो हम अपने आपको एक प्राचीन संस्कृति और आधुनिक राष्ट्र नहीं कह सकते।

देवियो और सज्जनो,

क्षेत्रवाद की चुनौती, जिसका जिक्र पंडितजी ने किया था, के साथ आज एक नया आयाम जुड़ गया है, जिससे हमें सजगतापूर्वक निपटना होगा। 40 वर्ष पूर्व जब हमारा राष्ट्र के रूप में उदय हुआ ही था, तब हमारा राजनैतिक नेतृत्व क्षेत्रवाद की ऐतिहासिक और राजनीतिक जड़ों के बारे में अधिक सजग था। समय के साथ हम ऐसे काफी राजनैतिक कारणों का समाधान पाने में सफल हुए हैं। तथापि, आज कुछ ऐसी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय अस्मिताएं प्रकट हुई हैं जिनके बारे में साठ वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक बहुलवादी समाज और राजनीति के रूप में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय अस्मिता और संस्कृतियों के लिए हमारे यहां यथोचित स्थान है। यह जरूरी नहीं है कि ये हमारी राष्ट्रीयता की बृहत संकल्पना के विरूद्ध ही हों। हमारा संविधान सभी प्रादेशिक भाषाओं को आदरपूर्ण स्थान देता है। संचार, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास ने छोटे समुदायों और स्थानीय संस्कृतियों के लिए इस तरह से अपनी अद्भुत पहचान को बचाए रखना और उसे विकसित करना संभव बनाया है जो पहले अकल्पनीय था। ये क्षेत्रीय अस्मिताएं फले-फूलें, इसी में हमारी खुशी है और हमें एकरूपता की बजाय सद्भावना पर जोर देना होगा। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये स्थानीय अस्मिताएं सद्भावपूर्वक हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति का हिस्सा बनें न कि टूट का कारण बनें।

क्षेत्रीय असंतोष का एक कारण क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं रहा है। वे आज भी विद्यमान हैं और शायद इनमें वृद्धि ही हुई है। यद्यपि यह सच है कि आज सामान्यतः देश के सभी क्षेत्र 40 वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में समृद्ध हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में अन्य की तुलना में तेजी से विकास हुआ है। तुलनात्मक अंतर-क्षेत्रीय असमानताएं एक समस्या है, जिनपर ध्यान देना होगा। यह केवल राष्ट्रीय अखंडता के हित में ही नहीं है, अपितु हमारे लोगों के हित में भी है। मैं अल्प-विकसित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वे अधिक विकसित राज्यों के उदाहरण से सीख लें और अपने क्षेत्र के लोगों के विकास और तरक्की के लिए नए-नए रास्ते तलाशें। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में निवेश करना होगा और शासन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। इन सबसे ऊपर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए निवेश करना होगा।

जब मैं देश में देखता हूं और पाता हूं कि कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक विकसित हैं, तो मुझे लगता है कि कृषि के विकास के स्तर, कृषक संबंधों में बदलाव और आर्थिक और औद्योगिक विकास के समग्र स्तर के बीच सह-संबंध है। पहाड़ी और वन प्रदेश जैसे कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक-आर्थिक ढांचे से संबंधित अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। अन्य सभी स्थानों पर कृषि अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास समग्र विकस के लिए जरूरी रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय अखंडता के हितों को ध्यान में रखते हुए अल्प विकसित क्षेत्रों में राज्य स्तर के राजनैतिक नेतृत्व को कृषि क्षेत्र में बदलाव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के जीवन और उनकी आजीविका के साधनों में सुधार लाना राष्ट्रीय अखंडता का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

हमारी सरकार ने "ग्रामीण भारत को नई सौगात" देने का वादा किया है और हमने ग्रामीण आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए "भारत निर्माण" कार्यक्रम की शुरूआत की है। देश के अत्यधिक निर्धन प्रदेशों में सामाजिक सुरक्षा के तौर पर हमने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की भी शुरूआत की है। तथापि, ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि, कृषि रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था का तेजी और समान रूप से विकास राष्ट्रीय अखंडता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित करना। मैं आशा करता हूं कि आज की कार्रवाई इस बात पर प्रकाश डालेगी कि हम सब किस तरह साथ मिलकर एक खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे के अन्दर एक अधिक मजबूत, अधिक समृद्ध और एक अधिक समतावादी राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

देवियो और सज्जनो,

हमें राष्ट्रीय अखंडता और सहिष्णुता के महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रोत्साहित करते हुए साम्प्रदायिकता, अलगाववाद, आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा जैसी प्रत्यक्ष चुनौतियों से दृढ़तापूर्वक निपटना होगा। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मेरा यह दृढ़ विश्वास मानना है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसका लोकतांत्रिक ढंग से निपटान न किया जा सके। हमारा लोकतंत्र हमें अपनी बात का समर्थन करने तथा अपने विचार लोगों के समक्ष रखने की आजादी देता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसका निवारण लोकतांत्रिक तरीके से और बातचीत से न किया जा सके। ऐसा प्रत्येक राजनैतिक संगठन जो किसी भी वर्ग के हितों का नेतृत्व करने का दावा करता है, को हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से अपनी लोकप्रियता की परख और प्रदर्शन करना होगा।

मैं एक जन-हितैषी सरकार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। तथापि, हर समय कोई न कोई शिकायत बनी रहेगी। हमारा लोकतंत्र सभी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का मौका देता है। कोई भी सभ्य समाज हिंसा और उग्रवाद को बरदाश्त नहीं कर सकता। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोई भी समाज उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। ऐसी आतंकी गतिविधियों का सामना करने पर सरकार के पास इनके विरूद्ध और इनकी घृणा की विचारधारा के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में विघटनकारी सिद्धांत पर आधारित उग्रवाद के किसी भी रूप को बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

देवियो और सज्जनो,

यह एक महत्वपूर्ण मंच है और इसने विगत में सरकार को महत्वपूर्ण सलाह प्रदान की है। मैं सदस्यों से आज के एजेंडा में प्रस्तुत मुद्दों और मेरे द्वारा आपके समक्ष रखे गए कुछ विचारों पर चिंतन करने का आग्रह करता हूं। राष्ट्र के रूप में भारत केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समग्र विश्व जो आशा और प्रत्याशा से हमारी ओर देख रहा है, के लिए काफी कीमती है। विश्व चाहता है कि हम सफल हों और लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर सद्‌भाव, सहिष्णुता, विविधता और बहुलवाद का उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा।

जय हिन्द।

....